रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052024-254186 CG-DL-E-14052024-254186

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338] No. 338] नई दिल्ली, सोमवार, मई 13, 2024/वैशाख 23, 1946 NEW DELHI, MONDAY, MAY 13, 2024/VAISAKHA 23, 1946

## भारतीय मानक ब्यूरो (उपभोक्ता मामले विभाग) शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 6 मई, 2024

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (877).—भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधनकरता है:

1) का.आ. 1966 (अ) दिनांक 14 मई 2018 (प्रकाशित दिनांक 18 मई 2018) एवं संदर्भ: HQ-PUB-BIS (679) दिनांक 23 अगस्त 2023 (प्रकाशित दिनांक 29 अगस्त 2023)

अनुसूची के क्रम संख्या 3, कॉलम (5) में — '7 फरवरी 2024' को '7 अगस्त 2024' से प्रतिस्थापित करें|

पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./107/2024-25]

3010 GI/2024 (1)

## **BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

# (Department of Consumer Affairs) CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th May, 2024

**Ref: HQ-PUB-BIS** (877).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) Extraordinary vide Ref no. S.O. 1966 (E) dated 14 May 2018 (Published on 18 May 2018) read along with HQ-PUB-BIS (679) dated 23 August 2023 (Published in August 29 2023)

Sl No. 3, column (5) of schedule — Substitute '7 August 2024' for '7 February 2024'.

P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./107/2024-25]